

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5) विभाग
कमांकःप. 4(1)साप्र / 5 / 09पार्ट
आज्ञा जयपुर, दिनांक: 17-5-11

द्रांजिट होस्टल, जयपुर आवंटन आदेश संख्या एफ. 7(2)साप्र / 5/06 दिनांक 27.10.06 में वर्धित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि या नियमित आवास उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर आवंटित किया जाता है :—

1. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा ।
 2. संबंधित अधिकारी से आवास के किराया की राशि अग्रिम वसूल कर ली जावेगी ।
 3. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट होस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावेगी ।
 4. ट्रांजिट होस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि पर मूल वेतन का प्रमाण प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल को प्रस्तुत करना होगा ।
 5. स्थानान्तरण / सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक ट्रांजिट होस्टल, जयपुर को तुरन्त देनी होगी ।

क्रम सं. अधिकारी का नाम आंवटित आवास संख्या
 1 श्री तारा चन्द मीणा आवास सं० एफ 1/1
 आर.0ए०एस०
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , (न्यू०टी०एच०)
 (शहर) उत्तर, जयपुर।

१९७१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा दिनांक 31.5.11 तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावे। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षित अधिकारी को आवंटित कर दिया जाना प्रस्तावित है।
 2. प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, जयपुर।
 3. कोषाधिकारी, सचिवालय/जिला कोष कार्यालय, जयपुर।
 4. सहायक शासन सचिव, सा० प्र०(ग्रुप-२)विभाग।
 5. उक्ति पत्रावली।

२१६९८८